लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

पत्रांक :.....................
दिनांक :.........................

कार्यालय आदेश

श्री विपुल मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, केन्द्रीय लेखा कार्यालय के स्थायीकरण/प्रोन्नति के संबंध में लेखा कार्यालय द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्तावों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 11.08.2021 को सम्पन्न बैठक में कनिष्ठ सहायकों की प्रोन्नति से पूर्व उनकी टंकण परीक्षा आयोजित किये जाने के निर्णय लिया गया था।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 15 सितम्बर 2021 को आयोजित टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए श्री विपुल मिश्रा की प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 04.10.2021 को सम्पन्न बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

"सेवा शर्तो के अनुसार नियमानुसार मौलिक पद पर स्थाई कार्मिक को ही प्रोन्नति प्रदान करने की व्यवस्था है। अतः टंकण परीक्षा में उर्त्तीण श्री विपुल मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, केन्द्रीय लेखा कार्यालय का स्थायीकरण किये जाने के उपरान्त प्रोन्नति आदेश नियमानुसार जारी किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी।"

समिति के उक्त संस्तुति पर श्री विपुल मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, केन्द्रीय लेखा कार्यालय के स्थायीकरण संबंधी प्रस्ताव पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 28.10.2021 के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या:– पी–19394–401 दिनांक:–16.11.2021 द्वारा श्री विपुल मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, केन्द्रीय लेखा कार्यालय का स्थायीकरण किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किया गया हैं।

अतः विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2021 में की गई संस्तुति पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 13.10.2021 के अनुपालन में श्री विपुल मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, केन्द्रीय लेखा कार्यालय को कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या:– P|20948–56 दिनांक:– 07|12|2021

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. समस्त उप कुलसचिव, ल0वि0वि0।
5. लेखाधिकारी, ल0वि0वि0।
6. समस्त, सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।
7. इंचार्ज, वेवसाइट, ल0वि0वि0।
8. प्रभारी, अभिलेख को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कर्मचारी की पत्रावली में संलग्न करायें।
9. सम्बन्धित कर्मचारी, ल0वि0वि0।

कुलसचिव